"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 जून 2013—आषाढ़ 6, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-दो में,—

1. सरल क्रमांक 19., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अनु. जनजाति 62 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक "35," के स्थान पर अंक "33," प्रतिस्थापित किया जाये.

2. सरल क्रमांक 23., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अनु. जनजाति 76 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक "53," के स्थान पर अंक "52," प्रतिस्थापित किया जाये.

3. सरल क्रमांक 24., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 7 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक "67," के स्थान पर अंक "66," प्रतिस्थापित किया जाये.

4. सरल क्रमांक 25., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक "35," के स्थान पर अंक "33," प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 27-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

New Raipur, the 27th June 2013

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-II of the said rules,—

1. For the figure and comma "35," of column (5) of serial number 19., against entry ST 62% of column (4), the figure and comma "33," shall be substituted.

2. For the figure and comma "53," of column (5) of serial number 23., against entry ST 76% of column (4), the figure and comma "52," shall be substituted.

3. For the figure and comma "67," of column (5) of serial number 24., against entry OBC 7% of column (4), the figure and comma "66," shall be substituted.

4. For the figure and comma "35," of column (5) of serial number 25., against entry OBC 14% of column (4), the figure and comma "33," shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के नियम 3 की अनुसूचियों में संशोधन के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-11-2012 के अंग्रेजी अनुवाद को निम्नानुसार संशोधित कर पढ़ा जाए, अर्थात् :—

सरल क्रमांक 19., के कॉलम (4) की प्रविष्टि अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत के सामने, कॉलम (5) के अंक "10," के स्थान पर अंक "12," अंक "20," के स्थान पर अंक "18," अंक "31," के स्थान पर अंक "33," अंक "41," के स्थान पर "39," तथा अंक "70," के स्थान पर अंक "68," अंक "81," के स्थान पर अंक "83," अंक "91," के स्थान पर अंक "89," पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.